Sch. XIV—F. No. 186V.

वि० गo ग्रेड, गया।
करद मालगो/करद रैयती।
खाता सं०।

V

452442

*बकाया मालगुजारी।
खाता सं०। खाना मौजा मय जिला का थाना नम्बर।

*बकाया मालगुजारी | बकाया चौकीदारी | तफसीली हिसाब सम्मन बकाया।

बोट का डाकाना मांग मय तफसील (रकमा दो हाल) मौजूदा साल का।

खाता बाबत 2-3-17	डाकाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१का वर्ष।	
मालगुजारी (जमींदारी)						
मालगुजारी (जायदादी)						
सेस ...						
*सूद ...						
मुतफरकात ...						
मीजान						

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत।	बकाया				मोतावला हाल।	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१का वर्ष।		
मालगुजारी (जमींदारी)						
मालगुजारी (जायदादी)						
सेस ...						
*सूद ...						
मुतफरकात ...						
मीजान अदायकारी						

(१) मीजान कुल (अंकों में)—
(२) नाम देहिंदा—
(३) कुल बकाया—

दस्तखत व तारीख अमला तहसील कुनिन्दा।

*आय महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

Rajsingh

Sch.-XIV.—F.No. 180 V

रसीद मालगुजारी

नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

V

३.१ विं०स०मु०. पटना। X,
फरद मालकी / फरद रैयती। 107
नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकुनत। नम्बर।

पनघट	पनघट	नि० सिंचित	0589068

अराजी नम्बरी — अलाजी भावली — तफसील हिसाब लगान भावली।

1 2 3	मिल — नीचे

जोत का सालाना माल मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा सील का।

2016-17 नाम बाबत		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
मल— गुजारी	(नकदी)	१५				१५	१५
	(भावली)	३.१२				३.१२	३.१२
सेस		६.१२				१.१२	६.१२
*सुद		१.१२				६.१२	१.१२
मुतफरकात		३				३	३
मीजान		३६.१२				३६.१२	३६.१२

तफसील अदायकारी। = ६७.१२

2016-16 अदायकारी बाबत		बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल— गुजारी	(नकदी)				१५	१५	
	(भावली)				३.१२	३.१२	
सेस					६.१२	६.१२	
*सुद					१.१२	१.१२	
मुतफरकात					३	३	=७३.१२
मीजान अदायकारी					३६.१२	३६.१२	

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — तीस ६ पनघट ५५

(2) नाम देहिन्दा — S

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसीलदार कुनिन्दा

वि.स.मु. (रिजर्व्ड) — 5/11/16

*खाना पहला मय बकाया मालगुजारी पर (लेकिन ऐसे सूबजात पर जिन पर कि सार्टिफिकेट जारी हो) [illegible] जाता है।

खाना खाली

—३१ × √10

Rajendra Ashoka Housing Estate Ltd. Patna

. XIV.—F.No. 180 V

वि०स०मु०, पटना। X, 107

फरद मालकी / फरद रैयती।

नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकुनल। नम्बर।

नाम सर्कल। नाम मौजा मय थाना वो थाना नम्बर

पाटलिपुत्र	दानापुर	पानी पिरोक्ष	0589067

अराजी नगदी

अराजी भायली

तफसील हिसाब लगान भायली।

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजुदा साल का।

मांग बाबत 2016-17		सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।	
माल— गुजारी	(नकदी)	2.00				2.00	2.00
	(भायली)	6.42				6.42	6.42
सेस	...	9.42				9.42	9.42
*सुद	...	12.42				12.42	12.42
मुताफरकात	...	2				2	2
मीजान		61.42				61.42	61.42

तफसील अदायकारी। = 9.42.00

अदायकारी बाबत 2016-17		बकाया				मोतालबा हाल	फाजिल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	3रा वर्ष।	2रा वर्ष।	1ला वर्ष।		
माल— गुजारी	(नकदी)				2.00	2.00	
	(भायली)				6.42	6.42	
सेस	...				9.42	9.42	
*सुद	...				12.42	12.42	
मुताफरकात	...				2	2	
मीजान अदायकारी					61.42	61.42	= 9.42.00

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) — एक सौ साठ रु पचास पैसे

(2) नाम देहिन्दा —

(3) कुल बकाया —

दस्खत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल वास बकाया मालगुजारी पर (रोकाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सार्टिफिकेट जारी हो) सदाबन्दी किया जाता है।

बि.स.मु. राजस्व, पटना

51/16



भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

दानापुर (पटना) 201...

आदेश - पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

अ० पत्रक सं० तक
वर्ष सन् 200 -200
केस का प्रकार दा० खा० वाद सं० 942 सन् 2010-11

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
24/1-11	श्री [illegible] पिता/पति [illegible] ग्राम० [illegible] थाना [illegible] जिला [illegible] . ने निम्नलिखित जमीन का नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे वसीका सं० [illegible] दिनांक द्वारा इन्होंने श्री [illegible] से श्री [illegible] ग्राम .. थाना [illegible] जिला [illegible] से क्रय किया है ।	

जमीन का विवरण

मौजा	थाना सं०	तौजी सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
दानापुर	29	29	790	31	(पांचकठ्ठा)

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन कि माँग करें। अभिलेख दिनांक 1-2-11 को उपस्थापित करें ।

अंचल अधिकारी

2-2-11

रा०कर्म० एवं अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बंध में स्थानीय तौर पर और राजस्व अभिलेखों से जाँच कराई गई। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित जमीन-

(1) रैयती है ।
(2) आवेदक के पूर्ण दखल में है ।
(3) जमाबन्दी [illegible] के नाम से कायम है ।

W.O. 8/2-11
1.4-11

LEGEND HOUSING PVT. LTD.

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश [illegible] के बारे में [illegible] सीधे
	(4) यह जमीन गैर मजरूआ आम एवं खास नहीं है । यह जमीन भूदबन्दी के अन्तर्गत नहीं है । भूल जमाबन्दी रैयत/आम नोटिश निर्गत करें । अभिलेख दिनांक/0-2-11/..... को उपस्थित करें । अंचल अधिकारी	
10-2-11	भूल जमाबन्दी रैयत को निर्गत नोटिश / आम इश्तहार का तामिला प्राप्त है । तामिला प्रतिवेदन रेखा । कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है । आवेदित भूमि क्रेता के दखल कब्जा में है । अतः सूचना/रा०कर्म० एवं अंचल निरीक्षक के जाँ प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व संग्रहण के हित में बंटवारा/उत्तराधिकारी/दान पत्र/विक्रय-पत्र दाखिल खारीज करने की जाती है। 'शुद्धि पत्र निर्गत करें । सेरेस्तादार एवं संशोधित अंचल अधिकारी दानापुर अंचल अधिकारी	

Rajkishor Yadav

आदेश - पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

..... तक

सं० सन् 200 -200

प्रकार दा० खा० वाद सं० 949 सन् 2007-11

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

श्री निवेदक

पिता/पति श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह

ग्राम० अकबारडीह/नया थाना पुनपुन जिला पटना

ने निम्नलिखित जमीन का नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिया है जिसे वसीका सं० 9X12 दिनांक 24/02/10 द्वारा इन्होंने श्री स्व० गोपाल ठाकुर वल्दी

श्री स्व० देवानंद सिंह ग्राम ..

किसान/गार्ड थाना दनियाँ जिला पटना से क्रय किया है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना सं०	तौजी सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
दानापुर	29	239	V/o	52.111	(पचासी पर्च) 0.87

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन कि माँग करें। अभिलेख दिनांक 1-2-11 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी

रा०कर्म० एवं अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बंध में स्थानीय तौर पर और राजस्व अभिलेखों से जाँच कराई गई। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि आवेदित जमीन-

(1) रैयती है।

(2) आवेदक के पूर्ण दखल में है।

(3) जमाबन्दी के नाम से कायम है।

LAND RAGHUBIR HOUSING PVT. LTD. PATNA

1-4-11

2-2-11

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	के बारे में
	(4) यह जमीन गैर मजरूआ आम एवं खास नहीं है । यह जमीन चहदबन्दी के अन्तर्गत नहीं है । मूल जमाबन्दी रैयत/आम नोटिस निर्गत करें । अभिलेख दिनांक 10-2-11 को उपस्थित करें । अंचल अधिकारी	
10.2.11	मूल जामाबन्दी रैयत को निर्गत नोटिस / आम इश्तहार का तामिला प्राप्त है । मामिला प्रतिवेदन रेखा । कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है । आवेदित भूमि क्रेता के दखल कब्जा में है । अतः सूचना/स०कर्म० एवं अंचल निरीक्षक के जाँ प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व संग्रहण के हित में बंटवारा/उत्तराधिकारी/दान पत्र/विक्रय-पत्र दाखिल खारीज करने की [illegible] जाती है। 'शुद्धि पत्र निर्गत करें । लेखापति एवं संशोधित अंचल अधिकारी दानापुर अंचल अधिकारी	

Reg. II

अंचल - दानापुर
जिला - पटना

943 साल - 2070 - 71 हल्का नम्बर- 6
राजस्व थाना नम्बर- 29

(नाम रकबा- 52 III. (दो कट्ठा पन्द्रह धूर) प्राप्त का जरिया- कैंसला दैंप

क्षेमन- 9०.१९ न०पै/— केवाल- १५/२ तिथि- २४-२-१०

जमाबंदी रैयत का नाम	खाता	प्लौट	रकबा	लगान	जमाबंदी नम्बर
श्री अंबिका शुक्ल पिता स्व० ई. श्री सिंह सा० बिच्ची गली जोकंा रोड, दानापुर, पटना	~39 पजैटर	✓90 १६-१ पजैटर	9.६५ ऽ१०	२०.००	४१~ अंड अन्यमोक्ष आकेडर्क जमाबंदीमें स्व० ई० श्री सिंह के नाम दर्ज रहने के कारण दाखिल खारिज नहीं हो सका। संपोत्र शुद्धकर्ता मात्र सामिली पुत्र हुई। जमीन रैयती है तथा आदि से दखलकब्जा में है।
बचा हुआ रकबा					

नया जमाबंदी रैयत	खाता	प्लौट	रकबा	लगान
श्री विनोद सिंह श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह सा० उत्तलकोठीनचक पुनपुन, पटना	~39	✓90	52 III. (दो कट्ठा पन्द्रह धूर)	२.००

Lay D
8/4
1-4-11

1/4/11

Rajesh Kumar Singh

Serial No. 12483 Circle:-:Danapur Book No. :- 1 Deed No. 12235

Govt. of Bihar
Sub Registry Office, Danapur
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 02/11/2017 by Vivek
A stamp duty of Rs. 240200/- and other fees of Rs. 20500/- has been paid in it.
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the executants and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as deed no. 12235 in Book No. 1, Volume No. 226 on pages from 157 to 173 and has been preserved in total 17 pages in C.D. No. 35 /Year 2017

Signature with Date
(Vinay Kumar Prasad)
Date: 02/11/2017 Token No. 13130/2017 Registering Officer: Danapur

SCORE 4.1

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)

यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक 02.11.2017 को निम्नलिखित अग्रलिखित पक्षकरों के बीच निष्पादित किया जाता है।

हम श्री विवेक, पिता श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, निवासी ग्राम – अल्लाउद्दीनचक, थाना वो पोस्ट – पुनपुन, जिला – पटना, (बिहार), वर्त्तमान निवास स्थान 506/384, कब्रिस्तान रोड, लालजी टोला, पटना, खाता सं0 – 831, खेसरा नं0 – 910, मौजा – दानापुर शहजादपुर, थाना संख्या – 21, जिला – पटना, बिहार, जिन्हें आगे **जमीन मालिक** के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें **प्रथम पक्ष** कहा गया है। Mob-9334782305

Pan-AEBPV-6190B



VIVEK 02/11/2017

Vinay Kumar Singh 02/11/2017

11/2/201

Sub District Registry Office,Danapur

Token Number 13130 Reg. Year 2017 Serial Number 12483 Deed Number 1223

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Claimant	Rajnish Kumar Singh (C.M.D.)						
Sig.	Rajnish Kr Singh 2/11/17						
Presented By	Vivek						
Sig.	Vivek 02.11.17						
Executant	Vivek	[X] Photo	[X] Thumb	[X] Index	[X] Middle	[X] Ring	[X] Litt
Sig.	Vivek 02.11.17						
Identified By	Dinesh Kumar						
Sig.	2/11/17						

SCORE Ver.4.0 Powered by IL&FS Technologies Ltd. Biometric Captured By 2802sopt



एवं

LEGEND ASHOKA HOUSING PRIVATE LIMITD, a Company incorporated under the companies Act, 2013, having its Registered/Administrative Office at House No. C-H/5, Road No. 25, Sri Krishna Nagar, Patna – 800001, District – Patna & PAN NO. – AACCL9961C MR. RAJNISH KUMAR SINGH, son of Late Ashok Prasad Singh,C.M.D. of the company executed his Agreement, hereinafter called "The Developer/Vendor" के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे **डेवलपर्सभवन निर्माता/उन्नयनकर्त्ता/विकासक** इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें **द्वितीय पक्ष** के रुप में वर्णित हैं, के बीच सम्पादित हुआ है।

Vivek 02.11.17

संदर्भ

यह कि वर्त्तमान भूखण्ड स्वामी श्री विवेक, पिता वीरेन्द्र कुमार सिंह, निवासी ग्राम – अल्लाउद्दीनचक, थाना वो पोस्ट – पुनपुन, जिला – पटना (बिहार), जिसका वर्त्तमान निवास स्थान – 506/384, कब्रिस्तान रोड, लालजी टोला, पटना है। यह कि श्री विवेक (वर्त्तमान भूखण्ड स्वामी) के पिता वीरेन्द्र कुमार सिंह की धर्मपत्नी – पूनम कुमारी ने दिनांक 19.08.2004 को श्री गोपाल कृष्ण, पिता स्व0 देवपति सिंह, निवास स्थान – दानापुर बिचली गली, गोला रोड, दानापुर, जिला – पटना से मवाजी 2 कट्ठा 10 धुर परती आवासीय भूखण्ड निबंधन सं0 – 4363 के द्वारा क्रय की साथ हीं वर्त्तमान भूखण्ड स्वामी श्री विवेक की माँ पूनम कुमारी ने दिनांक 24.08.2004 का श्री गोपाल कृष्ण पिता स्व0 देवपति सिंह, निवास स्थान – दानापुर, बिचली गली, गोला रोड, दानापुर से मवाजी 2 कट्ठा 10 धुर परती आवासीय भूखण्ड निबंधन सं0 – 4461 के द्वारा क्रय की एवं वर्त्तमान भूखण्ड स्वामी श्री विवेक, पिता वीरेन्द्र कुमार सिंह ने दिनांक 24.02.2010 को हीं श्री गोपाल कृष्ण, पिता – स्व0 देवपति सिंह से कुल मवाजी 2

Rajnish Kumar Singh 02/11/2017

कट्ठा 15 धुर आवासीय परती भूमि क्रय कर अपने नाम जमाबंदी कायम कर दखल–कब्जे में शांतिपूर्वक जोत–वाद करते आ रहे हैं।

यह कि वर्त्तमान भूखण्ड स्वामी श्री विवेक अपने माँ–बाप की एक मात्र संतान है और अपने माँ–बाप की अर्जित सम्पत्ति के एकमात्र वारिस हैं। इस प्रकार श्री विवेक अपने पैतृक सम्पत्ति पर अपने नाम जमाबंदी कायम कर कालांतर से हीं उक्त वर्णित भूखण्ड पर दाखिल काबिज होते हुए शांतिपूर्वक जोत–वाद करते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित कुल भूखंड 7 कट्ठा 15 धुर में से भूखंड स्वामी श्री विवेक ने अपने भूखण्ड स्थित मौजा – दानापुर शाहजादपुर, थाना नं0 – 21, खाता नं0 – 831, खेसरा सं0 – 910 में कुल नवाजी 5 कट्ठा 2 धुर 9 धुरकी भूखण्ड उन्नयन हेतु **LEGEND ASHOKA HOUSING PRIVATE LIMITD** की बराबर–बराबर हिस्सेदारी पर निबंधित कर रहे हैं।

Vivek
02.11.17

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची–1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक–साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा–खर्चा तथा क्षति–पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक की होगी।

Rogyish Kumar Singh
02/11/2017

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची– 1 में वर्णित जमीन पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधणों पर किया जायः–

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची– I की जमीन पर **निजामत दानापुर या अन्य सक्षम प्राधिकार** से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरुप बहुमंजिला इमारत बनाएंगे।

Rogyish Kr Singh

2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवेलपर्स ने अंतिम रुप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वत किया है कि उक्त सम्पति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे।

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते हैं कि अनुसूची– I में वर्णित जमीन पर बहु–मंजिला इमारत की संरचना करेंगे।

4. यह कि जमीन मालिक एवं डेवलपर ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रुप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर Terrace का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि दानापुर/पटना या अनय सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 50 (पचास) प्रतिशत एवं भवन निर्माता का 50 (पचास) प्रतिशत हिस्सा परम निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट तथा किसी भी अन्य प्रकार का निर्मित हिस्सा होगा।

6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाउ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।

7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरुप डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तों और बंधणों के साथ अंकित किया गया।

8. यह कि जमीन मालिक डेवेलपर को यह स्वीकृत करते हैं और डेवेलपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का

Vivek 02.11.17

Rajnish Kumar Singh 02/11/2017

Rep by

अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तों और बन्धंणों पर जो इस एकरारनामा में वर्णित है।

9. यह कि जमीन मालिक इस पर भी सहमत है कि डेवलपर्स उक्त वास्तुकार द्वारा निर्मित प्लान निजामत दानापुर या सक्षम प्राधिकार को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवलपर स्वयं वहन करेंगे।

10. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्त्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त संम्पत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिनन विकास–पूर्व कार्य तथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवलपर्स द्वारा निजामत दानापुर या अन्य सक्षम प्राधिकार से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।

11. यह कि डेवलपर प्राकृतिक विपदा और डेवलपर के शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पत्ति और निर्माण का प्रभावित हो, को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तों और बन्धणों पर जो इस एकरारनामा में वर्णित है।

12. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्पलेक्स का नक्शा, स्वरुप और (Elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का (Specification) तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वास्तुकार की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और वास्तुकार को दिये जानेवाला पारिश्रमिक (fees) डेवेलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा। यह भी तय हुआ कि डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन कर अधिकतम अनुमान्य एफ.ए.आर

Vivek 02.11.17

Rajnish Kumar Singh 02/11/2017

सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्नयन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार को भेजी जाएगी।

13. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा **तीन वर्ष छः माह** का कृपा काल होगा भवन निर्माण की समय सीमा **निजामत दानापुर या अन्य सक्षम प्राधिकार** द्वारा नक्शा स्वीकृति की तिथि से गिनी जाएगी।

14. यह कि मालिक सहमत हैं और वचनबद्ध है कि वे बिहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरुप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू–स्वामी अपने–अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने–अपने हिस्से को पृथक् रुप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

15. यह कि जमीन मालिक इस बात से से भी सहमत है कि उपरोक्त प्रस्तावित भवन में अपने हिससे के निर्मित फ्लैट/परम निर्मित क्षेत्र पर उपार्जित सेवा कर (प्रयोज्य) की राशि इमारत पूर्णता/समापन प्रमाण पत्र के पूर्व विकासकर्त्ता को भुगतान करेगें जिससे कि विकासकर्त्ता संपूर्ण निर्मित इमारत पर लागू सेवा कर का भुगतान संबंधित संबंधित प्राधिकार

16. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को **50**

Vivek 02.11.17

Rajnish Kumar Singh 02/11/2017

Rajnish

करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं जिसमें खास बातें निम्नवत हैं :–

क. यह कि विकासक उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार अपने हस्ताक्षर से प्रस्तावित इमारत की योजना एवं नक्शा तैयार कर अपने हस्ताक्षर से अनुमोदन के लिए सक्षम पदाधिकारी/मान्यता प्राप्त वास्तुकार के सक्षम परियोजना की स्वीकृति के लिए जमा करेगें और अनुमोदन प्राप्त करेगें।

ख. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्त करना।

ग. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

घ. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट Tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या Tribunal के समक्ष उक्त सम्पति से संबंधित किसी मामले, मुकदमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवेलपर अपने खर्च पर करेंगे।

ड. जमीन मालिक एवं विकासक अपने–अपने हिस्से का फ्लैट एवं अन्य सुविधा जैसे कार पार्किंग स्पेश किसी भी खरीदार को पूर्ण रूप से बेच सकते हैं।

च. इमारत कॉम्पलेक्स में फ्लैट Tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट Tenements के एवज में आर्थिक

Vivek 02.11.17

Rajnish Kumar Singh 02/11/2017

Rajnish Kumar Singh

(पचास) प्रतिशत सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के घरों/फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रुप से उनको 50 (पचास) प्रतिशत हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकाशक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे। और उसी अनुपात में क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

17. यह कि यथावर्णित "जमीन मालिक का क्षेत्र" पर जमीन मालिक को 50 (पचास) प्रतिशत का अधिकार होगा जिसका इमारत के पूर्णतया तैयार होने के बाद निर्धारण और स्पष्टीकरण किया जाएगा। किन्तु, फ्लैटों में "जमीन मालिक का क्षेत्र" का निर्धारण आपसी मेल–जोल से होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् सीढ़ी घर, रास्ता, पम्प घर,जेनरेटर घर,वाहन क्षेत्र,लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों द्वारा आनुपातिक रुप से उपयोग की जाएगी।

18. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य Tenements के द्वारा जो निजामत नगरपालिका पटना और अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तो और बंधेजों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरुरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (Acts), Deeds, Matters) को

Vivek 02.11.17

Rajnish Kumar Singh 02/11/2017

Rajnish Kumar

संस्थाओं से ऋण लेने के लिए इमारत में अपना हिस्सा बंधन रखना।

छ. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त जमीन का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन,फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य Tenements इमारत के नक्शे के अनुसार एक सम्मिलित नक्शा अथवा अलग–अलग नक्शा बनाकर और अगल–बगल की जमीन लेकर एक योजना अन्तर्गत या खंड–खंड में योजना बनाकर निर्माण करेंगे और हिस्सा अनुसार हिस्से का बंटवारा एवं बिक्रय इत्यादि करेंगे, उन्हें बेचेंगे, आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेंगे जैसी जरुरत हो, वैसी करेंगे, ऐसा अधिकार उन्हें सम्मिलित सभी जमीन पर बने ईमारत के लिए होगा जिसे वे जिसे उचित समझें बेचें और ऐसे फ्लैट इकाइयों Tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें।

Vivek 02.11.17

ज्ञ. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे निजामात दानापुर या अन्य सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा बचनबद्धताओं को गैर डेवलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, शपथ–पत्रों और अन्य कानूनी अथवा statutory कागजातों को **निजामत दानापुर या अन्य सक्षम प्राधिकार** या अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत हैं।

Rajnish Kumar Singh 02/11/2017

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं :–

I. कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।

Rajnish

LEGEND HOUSING PVT. LTD. PATNA

II. कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

III. कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा।

IV. कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं हैं। सम्मिलित रूप से जमीन मालिकगण उक्त मनोबंध के तहत कुल एराजी 5 कट्ठा 2 धुर 9 धुरकी जमीन विकासक को नापी में उपलब्ध करायेगें। अगर नापी में जमीन कम आएगी तो उस परिस्थिति में निर्मित/उन्नत फ्लैट एवं अन्य क्षेत्र में उसी अनुपात में जमीन मालिक का हिस्सा भी कम हो जाएगा।

V. कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या आभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देंगे एवं किसी प्रकार की क्षति की स्थिति में जमीन मालिक डेवलपर को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे।

VI. कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

VII. कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर

Vivek 02.11.17

Rajnish Kumar Singh 04/11/2017

Rajnish Kr Singh

सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध हैं कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे। तथा डेवलपर भी प्रस्तावित इमारत और स्वीकृत नक्शे के अलावा बिना जमीन मालिक के अनुमति और घोषणा पत्र के कार्य नहीं करेगें।

VIII कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निबटान करने का अधिकार होगा।

20. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन के अपने हिस्से के क्षेत्र का बिक्री करने, बिक्री के लिए एकरारनामा करने अथवा बंधन रखने का पूर्ण अधिकार धारित करते हैं।

21. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तो के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवलेपर इमारत कम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत बिक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरिक करने के लिए डेवलपर सभी कदम उठाएंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

22. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन **" LEGEND ASHOKA HOUSING PRIVATE LIMITD "** के नाम से करेंगे और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम **" R.R.ENCLAVE "** होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, **निजामत दानापुर या अन्य सक्षम प्राधिकार एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन** के लिए जवाब देय होंगे।

23. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधेजों के अनुरुप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी

Vivek Kumar

Rajnish Kumar Singh

आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

24. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामिनों द्वारा वहन किया जाएगा।

25. इस मनोबंध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, गवाक्ष, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

26. डेवेलपर **निजामत दानापुर या अन्य सक्षम प्राधिकार** के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

27. इमारत की योजना में डेवलेपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitory कार्यों जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे **निजमात दानापुर** की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

28. यह कि विकासक को यह भी अधिकार होगा कि इस विकास एकरारनामा में निहित जमीन पर बहुमंजिला इमारत की संरचना स्वयं अथ्वा अन्य या अपने सहयोगी/अनुशांगिक विकासक ईकाइ से कराने में जमीन मालिकगण को कोई आपत्ति

Vivek 02.11.17

Rajnish Kumar Singh 02/11/2017

Rajnish Kumar Singh

LEGEND ASHOKA HOUSING PVT. LTD.

उन है और न होगा, हर हालत में भवन की संरचना एवं जमीन मालिकगण के हिस्से का निर्मित क्षेत्र सुरक्षित रहना चाहिए।

29. भवन निर्माण के दौरान अगर किसी मजदूर अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति होती है तो डेवलपर इसकी पूरी जबावदेही लेंगे, जमीन मालिक को इसके लिए जिम्मेवार नहीं माना जायेगा।

30. प्रस्तावित इमारत निजामत दानापुर या अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

Vivek Kumar 01/11/2017

अनुसूची–1

एराजी – 5 कट्ठा 2 धुर 9 धुरकी, अतंर्गत मौजा – दानापुर शहजादपुर, बाजार समिति के दक्षिण, परगना – फुलवारी, सर्वे थाना – दानापुर, सब रजिस्ट्री दानापुर, सदर रजिस्ट्री ऑफीस और जिला पटना, थाना– 21, तौजी बिहार सरकार, खाता नं. 831 (आठ सौ एक्कतीस) सर्वे प्लौट नं. 910 (नौ सौ दस) का अंश, जमाबंदी सं0 – 15507 वो 15508 है।जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :–

Rajnish Kumar Singh 01/11/2017

चौहद्दी

उत्तर :– अनिल सिंह

दक्षिण :– सहायक रोड़ वो गोपाल कृष्ण

पूरब :– सहायक रोड वो नीज

पश्चिम :– गोपाल कृष्ण

कुल एराजी 5 कट्ठा 2 धुर 9 धुरकी, जमीन का बाजा एवं सरकारी मूल्य :– 7,50,000/– (सात लाख पचास हजार रूपया) प्रति डिसमिल है। कुल मूल्य मो0 1,20,06,000/– (एक करोड़ बीस लाख छः हजार) रूपये मात्र है।

Rajnish

LEGEND ASHIANA HOUSING PVT. LTD. PATNA

अनुसूची – 2

सम्पूर्ण फ्लैट के क्षेत्र का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण।

ढांचा :– आर.सी.सी. पाईलिंग भूकम्प अवरोधी स्ट्रक्चर डिजाईन के अनुसार।

civil कार्य :– प्रथम कोटि का सिमेंट, ईंट, बालू एवं मसाला।

परिसज्जन :– अन्दर के क्षेत्र एवं बाहर के क्षेत्र में बालपुट्टी एवं बाहर से वेदर कोट पेंट से पुट्टी होगी।

दरवाजे :–चौखत लकड़ी का एवं पल्ला उच्च कोटि का प्लाई बोड, 32 एम.एम. मोटा फैक्ट्री निर्मित। पल्स डोर चैनल फ्लैट फ्लसडोर का होगा (गम्हार, जामुन, सखुआ का रहेगा) (Century Plywood, Green Plywood, National Plywood & etc.)

खिड़कियॉ :–एल्युमिनियम की खिड़की।

फर्श :–Vitrified Tiles.

शौचालय :–पैन एवं बेसिन नल एवं अनय सामग्री आई0एस0आई0 ब्राण्ड का होगा। दिवाल में आर0सी0सी0 चौखट तथा फर्श (एन0टी.एस कार्ड टाईल्स) लगेगा, ग्लेज टाईल्स 06 फीट की उॅचाई तक सभी डाउन का वाटर प्रोफिंग करना होगा। (Hindware, Jaguar, Nova, etc.) (Parryware, Hindustan.)

भंडार घर :–निर्मित Wardrobe Plate जिसमें उपर्युक्त लकड़ी के काम के लिए जगह हो।

कॉमन प्लेस :–सीढ़ी पर कोटर टाईल्स।

पार्किंग :–सिमेंट कंक्रीट प्लोरिंग।

रसोई घर :– ग्रेनाईट का कार्यकारी Plateform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी Platform से 36" उॅचा रंगीन Glazed टाईल्स।

Vivek 02.11.17

Raghuvir Kumar Singh 02/11/2017

Raghuvir Kumar Singh

बिजली व्यवस्था :– कन्डक्ट पी0भी0सी0 पाईप कॉपर तार, होल्डर, स्वीच, सिलींग रोज आदि हैवेल्स, कोना या ब्रान्डेड कम्पनी का लगेगा तार पी0भी0सी0 कोटेड एन्कर या ब्राण्डेड कम्पनी का होगा। (Anchor, Havells, Cona)

अन्य :–लिफ्ट, जेनरेटर एवं सिक्युरिटी गार्ड।

उपर्युक्त Specifications में Promoters/Architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है। लेकिन यह दोनों पक्षों के सहमति से होगा।

Vivek 02.11.17

यह कि यह एकरारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोंच–समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगण:–

1. S/o Dinesh Kumar
Vivek Enclave Ramchandra Nagar
Near Janakpuri Metro 05
Patna
2/11/17

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर
Vivek
02.11.17

2.
Santosh Kumar
S/o Surendra Singh
Kailash Bhavan
Maulabag - 809
2/11/17

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर
Raghvendra Singh
2/11/17



दस्तावेज जाचाँ
के 2/11/17
हस्ताक्षर

जमीन मालिक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं निर्देश तथा विकासक की सहमति पर प्रारूप तैयार किया।

प्रारूपकर्त्ता
सुभाष-चन्द्र सिंह
मो.न. 22602
निबंधन कार्यालय दानापुर-पटना

Raghvendra Singh

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



Dinesh Kumar
DOB: 26/04/1982
Male / MALE

3436 6163 2332

Aadhaar-Aam Aadmi ka Adhikar

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

Address:
S/O: Ramanand Pandit, Bhathipur,
Danapur, Dinapur-Cum-Khagaul,
Patna,
Bihar - 801503

3436 6163 2332

Aadhaar-Aam Admi ka Adhikar

Regd. Ad. Post